



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
कार्यालय
OFFICE OF THE
आयकर आयुक्त,
COMMISSIONER OF INCOME TAX,
जयपुर-द्वितीय, जयपुर
JAIPUR-II, JAIPUR

PAN No. AA CTS 1667F

क्र: आ0आ0/जेपीआर-11/आ0अ0(त0 एवम न्या0)/190/2009-10/1790

दिनांक:- 09.03.2010

सुमेधा,
5-केशव विहार,
गोपालपुरा बाई-पास, जयपुर।

महोदय,

विषय:-आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80जी(5)(vi) के अन्तर्गत छूट प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु।

उपर्युक्त विषय में आपके प्रार्थना-पत्र दिनांक 08.03.2010 का अवलोकन करें। इसके साथ आपने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80जी(5)(vi) के अन्तर्गत छूट हेतु प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आपका धारा 80जी(5)(vi) के अन्तर्गत छूट हेतु नवीनीकरण 31.03.2010 तक हो चुका है। आयकर अधिनियम में वर्ष 2009 में किये गये संशोधन के अनुसार जिन संस्थाओं के अक्टूबर-2009 के बाद तक धारा 80जी(5)(vi) के तहत छूट मिली हुई है, उन्हें पुनः नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं है। अतः आपको धारा 80जी(5)(vi) के तहत पुनः नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं है।

भवदीय,

(जी.डी. शर्मा)

आयकर अधिकारी (त0 एव न्या0),
कृते आयकर आयुक्त, जयपुर-द्वितीय,
जयपुर।